

29/5/17

पञ्जावली साज राजस्व केसु कोर्ट गुरलां में प्रस्तुत
हुई। उभयपक्ष अनुपास्थित ^{विपक्षीय}। प्रोत्तरी सं ① में ③ के
विरुद्ध पूर्व में ही राष्ट्रपक्षीय प्राप्ति की जा
चुकी है। यह प्रार्थी को पूर्व में ही बखस हेतु
मंतिम अवसर दिया जा चुका है। ठावसर बंद
दिया जाता है। पञ्जावली डा ठावलोकन दिया गया।
प्रार्थी डा प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर
मूल वाह के निस्तारण तथा विपक्षीय के विरुद्ध
अस्थायी निरोधाला जारी की जाती है। डि मोवे
व रिवाइ की यथास्थिति बनाए रखे। पञ्जावली
पैसल नुमार होकर नंबर से इस हो।

अथ